



Jawaharlal Nehru Smriti Government Post Graduate College Shujalpur, Distt. Shajapur (M.P.)

ACCREDITED Grade 'B' by NAAC

Email: hegjncshushg@mp.gov.in

Phone No. 07360-244358

Website: <https://jnspgcollegeshujalpur.org/>

6.1.1: The governance and leadership is in accordance with vision and mission of the institution and it is visible in various institutional practices such as decentralization and participation in the institutional governance

Index 6.1.1

S.No.	Documents	Page No.
1.	Janbhagidari Approval for Website	02
2.	Website Launching	04
3.	NOCs for Self-Financing Programs	06
4.	Affiliation for Self-Financing PG Programs	12

आतदिनांक 2/1/21 को महा विद्यालय नगरागी-
दारी सामान्य परिषद की अध्यक्षता में नगरागी-
दारी समिति के पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर शाजाद
अतिथि की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें
निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

प्रस्ताव

स्वीकृति

1. महा विद्यालय की स्थापना
के 50 वर्ष पूर्ण होने पर
आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह
स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन का

अध्य

2. नवीन भवन का लोकार्पण
समारोह - भवन पर विचार विमर्श
नागरिक स्वयंसेवक स्थापना
3. नक्षत्र वादिका स्थापित
करके हेतु व्यय रुपये 25,000/-
की अनुमानित राशी का

वास्तविक व्यय के
आधार पर (स्वीकृति)
नवीन भवन का नाम
'अटल भवन' एवं
नक्षत्र वादिका स्थापना
की राशी का स्वीकृति

स्वीकृति

अनुमानित

4. महा विद्यालय हेतु MIS/Website

मैनेजमेन्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम

रु. 60,000/-
(स्वीकृति)

आवश्यक करके हेतु रुपये 60,000/-

(अनुमानित) की स्वीकृति।

5. ऑटोमैटिक गार्डन हेतु

रु. 1,00,000/-
स्वीकृति

रुपये 1,00,000/- की स्वीकृति

6. महा विद्यालय में मालवा

रु. 2,00,000/-
स्वीकृति

संग्रहालय की स्थापना हेतु

अनुमानित राशी 2 लाख की

स्वीकृति।

7. महा विद्यालय के नवीन भवन

हेतु लगभग 1000 रु. इंटर्नेट कनेक्शन

प्रत्येक से
प्रस्ताव तथा
नक्षत्र वादिका
आवश्यक है।

की राशों की खींचती ।

फर्नीचर, Glass, अपना लघु
उद्योग निगम से कर्म का

उस्ताव

8. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों हेतु रु 4,00,000/-
छुटके कम करण । अनुमानित खींचती

राशि रु 4,00,000/-

9. जनभागीदारी से होने वाले
आकांक्षित व्ययों के लिए खींचती
रुपये 2 लाख की राशों की

खींचती ।

10. विधि विभाग हेतु पाठ्यक्रम खींचती
मान्यता हेतु (एल.एस.वी.) रु 3,50,000/-

बाद का 3/मिल ऑफ इंडिया
की राशि रु 3,50,000/- की राशों
की खींचती ।

11. एक एक एक लेबोरेटरी एवं विभाग की खींचती
कैद में डायबिटीस निगमों से खींचती
रहे -

1. माननीय इन्दर सिंह, परमार
विधायक, बुवाण्डा एवं रायगढ़ी
मण्डल शासन

2. अनुविभागीय अधिकारी (सामान्य)
बुवाण्डा पटन अधिसूचना

3. श्री सतीश गोवाल
जयपुर जिलाधिकारी

4. डॉ. कुसुम नन्दा
जयपुर एवं
सचिव

अनुमानित

रु

रु

रु

महाविद्यालय की वेबसाइट

<http://www.jnspgcollegeshujalpur.org/index.php>



उदघाटन

माननीय इंदर सिंह जी परमार
(मंत्री स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन)

द्वारा

दिनांक- 30/12/2021

<https://inspgcollegeshujalpur.org/staff.php>

SRP Submission | https://inspgcollegeshujalpur.org/staff.php

जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर म.प्र.
Jawaharlal Nehru Smriti Government Post Graduate College Shujalpur M.P.
NAAC Accredited Grade B

077362246300
inspgcollege@gmail.com
Access | Aj | A | Logout |

IQAC/NAAC | Departments | Policies/Committees | Library | Activity | Contact

College Teaching Staff > College Staff Council

Organization Structure

BRANCH / DEPARTMENTS :

Name	Department	Designation	Qualification	Contact	Email	View Details
------	------------	-------------	---------------	---------	-------	--------------

Useful Links

- All Higher Education Departments
- Vikram University
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- All video and audio lectures of 103 and 105 uploaded by Higher Education Department
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)

Quick Links

- [SRP](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)
- [Komalajyoti Bhairavnagar Institute of Health Sciences \(KBIHS\)](#)

SRP 6.5.2 Induction...pdf | inspgcollegeshujalpur.org | Student induction...pdf | students induction...pdf | SRP 6.5.2 online a...pdf | online admission...pdf | online admission...pdf

Type here to search | 27°C Humid | 19:55 | 24/11/2022



क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/ प्रति,

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

843

दिनांक : 23-10-19

प्राचार्य,
शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सिटी मण्डी रोड, शुजालपुर, जिला-शाजापुर।



विषय :- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन क्रमांक/VU1904270002, दिनांक 30.04.2019, एवं VU1904270003, दिनांक 30.04.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/ आगामी कक्षा की सम्बद्धता/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 20.07.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित)की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 11.09.2019 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि, "शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर, जिला-शाजापुर(म.प्र.), में सत्र 2019-20, में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं एम.एससी.-द्वितीय वर्ष (बॉटनी, कम्प्यूटर विज्ञान) आदि पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार इंगित की गई कमियों की पूर्ति की प्रत्याशा में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान की जाये।" समिति द्वारा की गई अनुशंसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता सत्र 2019-20 हेतु आगामी आदेश तक प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.एससी.-द्वितीय वर्ष (बॉटनी)	30
02.	एम.एससी.-द्वितीय वर्ष (कम्प्यूटर विज्ञान)	30

- शर्तें :-**
01. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 15 कम्प्यूटर (लेटेस्ट) एम.एससी. पाठ्यक्रम हेतु क्रय/उपलब्ध कराये जाएं।
 02. एम.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रमानुसार 200 पुस्तकें एवं एम.एससी.(बॉटनी) पाठ्यक्रमानुसार 150 पुस्तकें क्रय की जाये।
 03. एम.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान)पाठ्यक्रमानुसार 4 लायसेंस सॉफ्टवेयर क्रय किये जाये।
 04. एम.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान) में अध्यापन हेतु नियमानुसार शिक्षकों की व्यवस्था की जाये।

- * उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।
- * आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा की सम्बद्धता/सम्बद्धता-निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित सगयावधी में करें।

प्रो. मालवीय
24/10/19

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (अग्रणी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

क्रमांक/03/574/आउशि/योजना/2022
प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय जे.एन. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

शुजालपुर (शाजापुर)

(म.प्र.)

विषय:-स्ववित्तीय योजनान्तर्गत एल.एल.एम. (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/853/2021 दिनांक 30.12.2021

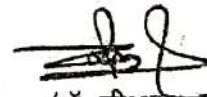
उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2021-22 से प्रारंभ करने की अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर एल०एल०एम० (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम)

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक् से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

1. वर्ष 2021-22 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(x) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।
6. पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित सम्पूर्ण व्यय महाविद्यालय द्वारा संचालित जनभागीदारी समिति की वित्तीय निधि से वहन करना सुनिश्चित किया जाए ।
7. यदि नियमानुसार बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया की मान्यता की आवश्यकता होने पर मान्यता प्राप्त की जाना आवश्यक होगा ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

 03/01/22

(डॉ. जी०ओ० सिंग)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा म.प्र.

भोपाल, दिनांक 03/01/2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. सचिव, बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
3. कुलसचिव, विश्वविद्यालय उज्जैन, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

 03/01/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा म.प्र.

क्रमांक 01/574/आउशि/योजना/2022
प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय जे.एन. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शुजालपुर (शाजापुर)
(म.प्र.)

विषय:-स्ववित्तीय योजनान्तर्गत बी.ए. एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/852/2021 दिनांक 30.12.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2021-22 से प्रारंभ करने की अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर बी०ए०एल०एल०बी० (पंच वर्षीय पाठ्यक्रम)

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
 2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
 3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
 4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
 5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
 6. लिपिक, श्रुत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
 7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
 8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
 9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
 10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।
1. वर्ष 2021-22 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
 2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
 3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
 4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
 5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।
 6. पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित सम्पूर्ण व्यय महाविद्यालय द्वारा संचालित जनभागीदारी समिति की वित्तीय निधि से वहन करना सुनिश्चित किया जाए ।
 7. बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया की मान्यता न मिलने पर उक्त पाठ्यक्रम का संचालन नियमानुसार मान्य नहीं होगा ।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. जी०आर० गोमले)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

भोपाल, दिनांक 03/01/2022

पृ०क्रमांक 02/574/आउशि/योजना/2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. सचिव, बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
3. कुलसचिव, विश्वविद्यालय उज्जैन, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शोध प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2022/1321
प्रति,

दिनांक :- 13/6/2022

प्राचार्य,
जे.एन.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शुजालपुर, जिला-शाजापुर।

विषय :- सत्र 2022-23 हेतु महाविद्यालय में आवेदित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता के संबंध में।

संदर्भ :- (1) महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/REN50303486 (आर.टी.जी.एस.से जमा शुल्क दिनांक 25.03.2022)
(2) महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/236/2022, दिनांक 12.05.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके महाविद्यालय द्वारा आवेदित पूर्व से संचालित एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की निरंतरता हेतु आवेदन किया गया है।

महाविद्यालय में संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान की जाना है इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.04.2022 के अधीन एवं बार.काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के अप्रुक्ल पत्र क्रमांक/BCI:D:1530/2021/(LE/Std.30th&31stOct,21)), Date 17.11.2021 के अनुक्रम महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम एवं उसके सम्बन्ध अंकित निर्धारित सीट संख्या के साथ 2022-23 में सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम/विषय	सीट संख्या
01.	एल.एल.बी. (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) महाविद्यालय, समय समय पर विश्वविद्यालय/शासन के पश्चातवर्ती आदेश/निर्देशों के पालन हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। सामान्य शर्त परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 के प्रावधानानुसार यथावत रहेगी। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि, आगामी सत्र प्रारंभ होने से पूर्व महाविद्यालय को सत्र 2022-23 का बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया का अप्रुक्ल पत्र, (एल.एल.बी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	100

आदेशानुसार

उपकुलसचिव(अकादमिक)

दिनांक :- 13/6/2022

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2022/1322
प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रातपुड़ा भवन, भोपाल।
02. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली।
03. सचिव, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग, भोपाल।
04. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
05. प्राचार्य, शा.टी.एस.एन.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय, शाजापुर।
06. समन्वयक, ऑनलाईन रोल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
07. माननीय कुलपति, कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनाय प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2022/1489

दिनांक :- 11/7/2022

प्रति,

प्राचार्य,

जे.एन.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

शुजालपुर, जिला-शाजापुर।

विषय :- सत्र 2022-23 हेतु महाविद्यालय में आवेदित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/निरंतरता के संबंध में।

संदर्भ :- (1) महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/VU2203250004, दिनांक 25.03.2022,

(2) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का आदेश क्रमांक/03/574/आउशि/योजना/2022, भोपाल, दिनांक 03.01.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके महाविद्यालय द्वारा आवेदित पूर्व से संचालित एल.एल.एम.-प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है।

महाविद्यालय में संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान की जाना है इस संबंध में महाविद्यालय को उपरोक्त पाठ्यक्रम की उसके सम्मुख अंकित निर्धारित सीट संख्या के साथ सत्र 2022-23 में सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. पाठ्यक्रम/विषय

सीट संख्या

01. एल.एल.एम-प्रथम वर्ष

60

महाविद्यालय, समय समय पर विश्वविद्यालय/शासन के पश्चातवर्ती आदेश/निर्देशों के पालन हेतु प्रतिबद्ध रहेगा।

आदेशानुसार


उपकुलसचिव(अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2022/1490

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/7/2022

01. आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
04. प्राचार्य, बी.एस.एन.शा.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय, शाजापुर।
05. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


उपकुलसचिव(अकादमिक)



Vikram University, Ujjain

No./Acad./Affili/2022/ 203

Date : 4/2/2022

To Whom it May Concern

This is to certify that **Jawaharlal Nehru Smriti Government Post Graduate College, Shujalpur, Dist.-Shajapur** is affiliated to Vikram University and following courses were granted affiliation.

S.No.	Name of Course's & Duration	Period of Validity for The Year's
1.	B.A.(Foundation Course,Hindi Lit., English Lit.,Economics Political Science, Sociology, Geography, History, Computer Application) Three Year	2016-17 to 2021-22
2.	B.Com.(Foundation Course,Accounts Group, Management Group,Taxation Group,Computer Application, Tax Procedure & Practice) Three Year	2016-17 to 2021-22
3.	B.Sc.(Foundation Course,Chemistry,Physics,Mathematics,Botany,Zoology, Microbiology,Computer Science) Three Year	2016-17 to 2021-22
4.	L.L.B. Three Year	2016-17 to 2021-22
5.	B.B.A. Three Year	2016-17 to 2021-22
6.	B.C.A. Three Year	2016-17 to 2021-22
7.	M.A.(Hindi Literature,English Literature,Geography,Sociology, Economics, Public Administration) Two Year	2016-17 to 2021-22
8.	M.S.W. Two Year	2016-17 to 2021-22
9.	M.Com. Two Year	2016-17 to 2021-22
10.	M.Sc.(Mathematics, Physics,Chemistry) Two Year	2016-17 to 2021-22
11.	M.Sc. (Botany, Computer Science) Two Year	2018-19 to 2021-22

As per Order

Dy.Registrar(Academic)

No./Acad./Affili/2022/ 204
Copy to. -

Date 4/2/2022

01. Principal, Jawaharlal Nehru Smriti Govt. Post Graduate College, Shujalpur, Dist.-Shajapur, With Reference to your Letter No./75/22, Date 27.01.2022
02. P.A. to Vice Chancellor/ Registrar, Vikram University, Ujjain.

Dy.Registrar(Academic)